HIMACHAL MULTI-LEVEL MARKETING CRYPTOCURRENCY SCAM

2.5 lakh duped; 69 of 76 held out on bail, trial yet to begin

The Enforcement Directorate has made only two arrests so far

Saurabh Parashar
Shimla, July 14

TWO ARRESTS in two years by the ED and 69 of 76 nabbed by the police out on bail - that has been the interminable track of investigations into the multi-crore multi-level marketing (MLM)-cryptocurrency scam in Himachal Pradesh.

Flagged by then independent MLA in the Assembly in 2023, prime accused reportedly slaloming authorities and out of the country to Dubai, and around 2.5 lakh people debilitated by the fraud, the Shimla office of the Enforcement Directorate (ED) made its latest arrest on June 15. It had launched its probe in 2024 based on inquiries by the Himachal and Punjab Police.

Masoom Juneja, 41, was arrested by the ED from Punjab's Mohali for his alleged role in the scam and booked under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). His father, Vijay Juneja, is already in Himachal Pradesh Police custody, an ED officer said.

A Himachal Pradesh police officer said, "The actual number of victims range between 80,000 and 1 lakh, who were further linked to around 1.50 lakh people. For instance, the main investor would be issued a unique ID to keep a tab on her investment in cryptocurrency. That person enrolled 10 others, including relatives and friends, resulting in 10 other digital IDs being generated under the main investor's ID. The investigation also established that in some of the cases, the unique ID holder invested under the IDs of her relatives and friends."

Based on around 500 complaints received on a dedicated helpline launched in 2024, most victims were found to be from Kangra, Mandi, Hamirpur, Una districts of Himachal Pradesh and some even from Punjab's Phagwara. They had invested the money received as compensation from the government for acquiring their land for various road projects.

"The total amount from the complaints went up to an estimated Rs 1,740 crore in the MLM-related cryptocurrency between 2018 and 2022. We have filed multiple chargesheets against 76 accused in the response of almost 280 complaints. Many of the complaints are yet to be addressed," a senior SIT officer said. In 2019 the fraud gained momentum, investigators said, with returns being churned out after a one-time deposit. The scammers fixed the price of the digital coin - the face value initially starting at nearly Rs 70 each would shoot up to between Rs 800 and Rs 4,000. They claimed that the cryptos would only be traded in dollars.

In September, 2024, when the scam surfaced, the Himachal Pradesh Police constituted an SIT under then DIG (Northern Range), Dharamshala, Abhishek Dullar. At present, Dullar is IG (Law & Order), Himachal Pradesh Police in Shimla. The SIT exists under SP (CID) Rajesh Chabra.

'Three main categories'

Apart from the latest ED arrest of Masoom Juneja, seven accused, including accomplices of Subhash, are still behind bars and their bail pleas have been rejected even by the Himachal Pradesh High Court, the SIT officer said. "The trial is yet to start against any of the accused."

Another SIT officer said, "Besides the kingpin, there are three main categories of people in the scam. The first consists of those who earned the most. The second is the team leaders who worked on the ground to get investors. The third comprises the victims."

Abhishek Sharma from Una district, Syal, Sukhdev, Hemraj Thakur from Mandi - the first to be arrested by the ED - Amit Pratap Singh from Shimla, Milan Garg from Haryana and Vijay Juneja are in different jails in Himachal. Sukhdev and Hemraj were arrested in Gujarat on October 3. Paras Ram Saini and Gobind Goswami, who also worked directly under Subhash, were arrested from Himachal, Panchkula in Haryana and Zirakpur in Punjab.

Vijay Juneja is among 76 accused so far arrested by the Himachal Pradesh Police over the past two years. Over a period of time, 69 accused, including four women, have been released on bail.

"The multi-crore scam was spread across many states, especially in Himachal Pradesh, Punjab and in some parts of Haryana and Delhi. It came to light in 2023 after Himachal Pradesh Police registered five FIRs and Punjab Police one. The ED took cognizance of the scam in March 2024 and initiated proceedings under Section 17 (1) of the PMLA. So far, we have arrested two suspects -Hemraj Thakur and Masoom Juneja. As per our investigation, the mastermind Subhash Sharma, 44, is believed to be in Dubai. Our investigation is on," an Assistant Director-rank officer of ED told The Indian Express.

A senior ED officer told The Indian Express, "Our claim that the MLM scam... is of Rs 500 crore is based on the chargesheet of Himachal Pradesh Police. Indeed, around 2.5 lakh victims invested Rs 1,740 crore between 2018 and 2022 in the MLM through cryptocurrencies but most of them received their money back as returns. The fraud was calculated to be around Rs 500 crore."

Rewind: In the House

In 2023, during the Monsoon Session of the Himachal Pradesh Assembly, then independent MLA from Dehra, Hoshyar Singh Chambyal, who later joined the BJP, first highlighted the scam and tabled a list of around 450 people who have been duped and demanded a police probe.

"Thousands of people from my constituency, Dehra, were cheated. Initially, they tried to lodge complaints with the local police but didn't get a satisfactory response," Chambyal said.

After his push, Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu ordered a thorough investigation. A dedicated helpline was launched, an SIT was constituted, and the process of registering FIRs began.

Chambyal says he's not satisfied with the probe's momentum, however. "I am sure investors are yet to get back their hard-earned money. I have one satisfaction, though. After I raised the issue in the Assembly, people have stopped investing in cryptocurrency not only in Himachal Pradesh but also in other states. I got this feedback from the people."

The anatomy of a scam

How the multi-level marketing (MLM)-cryptocurrency scam unfolded in Himachal Pradesh.

₹1,740 cr
Estimated investment

₹500 cr
Estimated fraud

₹70 Face value of digital coin

TOTAL SUSPECTS ARRESTED 78

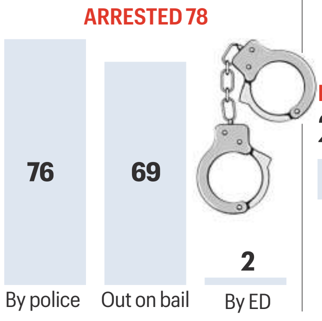

Korvio Coin 1.10 lakh
DGT Coin 1.40 lakh

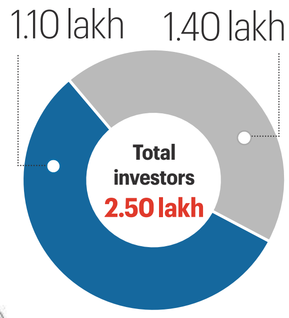

DIGITAL IDs ISSUED
2.50 lakh
80,000 Unique IDs discovered by SIT
500 Total complaints received

How the pyramid worked

THE KINGPIN
Subhash Sharma, a Mandi resident who is believed to have fled to Dubai

First category
Those who perpetrated the scam and earned maximum money. They worked directly under the kingpin

Second category
Team leaders, including police personnel, forest guards, political party volunteers who roped in more investors

Third category
Primary investors, were issued digital IDs and given profit share. Later invested under the names of their relatives

Sukhu reviews draft MoU for 422-MW Kishau project

CM Sukhvinder Singh Sukhu chairs a meeting in Shimla on Tuesday

Press Trust of India
Shimla, July 14

HIMACHAL PRADESH Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu on Tuesday chaired a high-level meeting to review the draft MoU for the 422 MW Kishau multipurpose hydro project and issued necessary directions to the officers concerned.

He reiterated that while the state government was fully committed to the implementation of the Kishau multipurpose project, safeguarding the rights and interests of the people of Himachal would remain its foremost priority.

The MoU for the project is expected to be signed shortly between the partner states and the Centre in the presence of Prime Minister Narendra Modi. Ahead of the formal signing, the Centre has circulated the draft MoU to the participating states, inviting their comments and suggestions, the chief minister said.

Addressing the meeting, he said that a consensus on the implementation of the project was reached during a recent meeting, under which Himachal would receive nearly Rs 600 crore annually as revenue without making any financial investment in the project.

Sukhu said the government rejected the earlier draft agreement and successfully secured the acceptance of Himachal's proposed terms and conditions by all stakeholders. "This ensured the protection of the state's long-term interests while paving the way for the implementation of the project. Under the revised arrangement, all partner states would receive their legitimate share of power and water, while Himachal would also receive adequate water from the reservoir based on its requirements. The state had secured a right of 378 million cubic metres of water in the Yamuna basin," he added.

CPRI alerts Himachal potato growers to risk of late blight disease

Press Trust of India
Shimla, July 14

THE CENTRAL Potato Research Institute (CPRI), Shimla, has advised potato growers in Himachal Pradesh to remain vigilant for a potential outbreak of late blight disease.

According to the institute's 'Indo-Blightcast' forecasting model, current weather conditions favour the spread of the disease, and the risk of an outbreak may increase in the coming days.

Head of the Plant Protection Division (CPRI) Sanjeev Sharma urged farmers on Monday to adopt preventive measures promptly.

He advised spraying fungicides containing Mancozeb or Chlorothalonil on disease-susceptible crop varieties in fields where symptoms have not yet appeared and fungicides have not yet been sprayed. The recommended dosage is 0.2-0.25 per cent meaning 2.0-2.5 kg of the chemical dissolved in 1,000 liters of water per hectare.

He said that if symptoms of late blight disease appear in the field, farmers are advised to spray fungicides at the following rates per liter of water: Dimethomorph (1.0 g); Ametoctradin + Dimethomorph (2.0 ml); Dimethomorph (1.0 g) + Mancozeb (2.0 g), total 3 g and Fluopicolide + Propamocarb (3.0 ml) or Azoxystrobin + Tebuconazole (1.0 ml).

According to experts, the fungicide spray can generally be repeated at 10-day intervals. However, the interval may be adjusted based on the disease's severity.

सार्वजनिक सूचना

इस पब्लिक नोटिस के माध्यम से जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी नीरज कुमार पुत्र स्व० डोगर मल शर्मा, गांव रटौली, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर ने अपनी माता स्व० निर्मला देवी पत्नी स्व० डोगर मल व पिता स्व० डोगर मल पुत्र स्व० बिशन दास के कानूनी वारिस की रिपोर्ट जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। [illegible] सब रजिस्ट्रार, जगाधरी

सार्वजनिक सूचना

मैं, शिल्पी गुप्ता, पत्नी श्री राजीव, निवासी वार्ड नंबर 2, गली नंबर 12, गांधी नगर, चरखी दादरी (तहसील और जिला चरखी दादरी, हरियाणा), यह घोषणा करती हूँ कि मेरी सेल डीड (बिक्री विलेख) नंबर 1779 (दिनांक 14/07/2014) चरखी दादरी बस स्टैंड पर कहीं खो गई है। मैंने इसके लिए DDR नंबर132590022600882 दर्ज कराया है। यदि किसी को यह दस्तावेज़ मिले, तो कृपया ऊपर दिए गए पते पर संपर्क करें और इसे मुझे लौटा दें।

बोली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28.07.2026 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे रा.प्रा. विद्यालय भगवानपुरा, ब्लॉक उचाना, जिला जीन्द में कंडम कमरों की नीलामी होगी। शेष शर्तें व प्रतिबंध मौके पर नीलामी से पूर्व घोषित कर दिए जाएंगे।

मुख्य शिक्षक,
राजकीय प्राइमरी विद्यालय
भगवानपुर -19294 जिला जीन्द।

सूचना

नगर परिषद हांसी असैसमेन्ट रिकॉर्ड वर्ष 2020-21 में जायदाद न्यू प्रोपर्टी आईडी नं. 3G3K5TP1 वाका डडल पार्क हांसी तहसील व जिला हांसी के मेरे पिता सुभाष चन्द्र पुत्र सूरजभान मालिक व काबिज थे। मेरे पिता सुभाष चन्द्र का देहांत दिनांक 07.09.2013 को हो चुका है। इनके देहांत के बाद हम उनके वारसान है, 1. रानी विधवा 2. आंचल 3. पायल पुत्रियान 4. राहुल पुत्र वारसान है। अन्य कोई वारसान नहीं है, उपरोक्त जायदाद हमारे नाम से दर्ज करने का कष्ट करें। उपरोक्त जायदाद से संबंधित यदि किसी के पास कोई दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री, डिग्री, वसीयत, इंतकाल, हिब्बानामा, रिलीजडीड, जमाबंदी, माननीय कोर्ट का फैसला आदि हो तो 30 दिन के अंदर नगर परिषद, हांसी गुहकर शाखा इंचार्ज को दस्ती व रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उपरोक्त प्रोपर्टी उपरोक्त वारिसानों के नाम कर रिकार्ड में दर्ज कर दी जावेगी।

बोली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 29.07.2026 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे रा.मॉ.सं.प्रा. विद्यालय बड़नपुर, खंड उचाना, जिला जीन्द में तीन कंडम कमरों की नीलामी होगी। शेष शर्तें व नियम मौके पर नीलामी से पूर्व घोषित कर दिए जाएंगे।

मुख्य शिक्षक,
राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी विद्यालय
बड़नपुर -19281 जिला जीन्द।

सार्वजनिक सूचना

मैं, हितेश पुत्र स्व. अजय निवासी गांव पातन टोकस, जिला हिसार हरियाणा घोषणा करता हूं कि मेरी दादी जी स्व. राजबाला पत्नी स्व. नन्द लाल का स्वर्गवास 19.07.2024 को हो चुका है व मेरे दादा जी का स्वर्गवास पहले ही हो चुका है। मेरी दादी जी के स्वर्गवास के पश्चात उनके निम्नलिखित वारसान है : 1. ऊषा पुत्री स्व. नन्द लाल 2. आशा पत्नी स्व. अजय 3. राहुल पुत्र स्व. अजय 4. हितेश पुत्र स्व. अजय के वारसान है। इनके अलावा अन्य कोई दीगर वारिस ना है। अन्य कोई दीगर वारिस या हकदार बनकर क्लेम करेगा तो मेरी जिम्मेवारी होगी। –शपथकर्ता

बोली सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय उच्च विद्यालय धनखेड़ी में विभागीय निर्देशानुसार दिनांक 21-07-2026 को प्रातः 10:00 बजे दो कंडम कमरों की बरामदों समेत नीलामी होनी निश्चित हुई है। अतः सभी इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर पहुंचकर बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बोली की नियम व शर्तें मौके पर बता दी जाएंगी।

मुख्याध्यापक
राजकीय हाई स्कूल
धनखड़ी, जींद
मो. 9992812835

कार्यालय नगर पालिका, खरखौदा

कृषि योग्य भूमि पट्टा बोली सूचना

सर्वसाधारण व सभी किसानों/ठेका धारकों को सूचित किया जाता है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगरपालिका, खरखौदा द्वारा अपनी कृषि योग्य भूमि की खुली बोली दिनांक 17.07.2026 को प्रातः 11.00 बजे 1 वर्ष (दिनांक 30.04.2027 तक) के लिए पालिका, खरखौदा कार्यालय में होनी प्रस्तावित है। इच्छुक व्यक्ति मौके पर पहुंचकर निर्धारित नियम व शर्तों अनुसार भूमि की खुली बोली में हिस्सा ले सकते हैं। बोली से संबंधित नियम व शर्तें किसी भी कार्यदिवस में पालिका कार्यालय में देखी जा सकती है। नोट:- कोई भी नगरपालिका का बकायेदार व्यक्ति बिना बकाया अदा किए खुली बोली में भाग नहीं ले सकता।

सचिव नगर पालिका खरखौदा

आम सूचना

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि श्रीमति रीकम पत्नी श्री गुलाब (रहनकर्ता) जो कि निम्न जायदाद (जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है) की मालिका है तथा रहनकर्ता ने शुभम हाउसिंग डवैलपमैन्ट फाइनैंस कम्पनी लिमिटिड, ब्रांच एस.सी.ओ. 107, दूसरी मंजिल, कर्मशियल बैल्ट, सैक्टर-17, हुडा, जगाधरी - 135003, जिला यमुनानगर, हरियाणा के पास लोन का आवेदन किया हुआ है। उपरोक्त जायदाद के मालिक के अनुसार मूल [illegible]

स्थान- यमुनानगर दिनांक- 14/07/2026

न्यायालय उप तहसीलदार - कम - सब-रजिस्ट्रार साढौरा, जिला यमुनानगर।

श्री पुनम अदलखा पुत्र श्री हरिन्द कुमार निवासी साढौरा, उप तहसील साढौरा, तहसील बिलासपुर जिला यमुनानगर .... बनाम जनरल पब्लिक इस इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि पुनम अदलखा पुत्र श्री हरिन्द कुमार निवासी साढौरा, उप तहसील साढौरा, तहसील बिलासपुर जिला यमुनानगर ने वारिसान तसदीक हेतु पेश किया है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रार्थी के पिता श्री हरिन्द कुमार पुत्र श्री हरगोविन्द राम का देहांत दिनांक 11.04.2026 को हो चुका है। यह कि श्री हरिन्द कुमार पुत्र श्री हरगोविन्द राम की मृत्यु उपरांत उनके निम्न वारिस / उत्तराधिकारी दर्शाये गये है। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में इन्ही वारिसान की तस्दीक की है जोकि (1) सुनीता रानी, पत्नी (2) पुनम अदलखा, पुत्र (3) कोमल अदलखा, पुत्री है। मृतक का अन्य कोई वारिस / उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिए हर आम व खास को इस नोटिस / इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मृतक के बताये गये वारिस / उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए हर आम व खास को इस नोटिस के प्रकाशन के उपरांत 15 दिन के अन्दर - अन्दर उपरोक्त कार्यालय में कार्य दिवस के दिन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है अन्यथा [illegible]

उप तहसीलदार-कम-सब रजिस्ट्रार, साढौरा

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

कार्यालय श्री दिव्यांशु मित्तल, उप तहसीलदार कम संयुक्त सब रजिस्ट्रार डबवाली (सिरसा)

नोटिस बनाम आम जन

इस नोटिस द्वारा प्रत्येक आम व खास व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि मयूर गर्ग पुत्र राजकुमार पुत्र बीरबल दास निवासी मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा ने मेरे कार्यालय में एक दरखास्त दी है [illegible]

आज दिनांक 13/07/26 को मेरे हस्ताक्षरों व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

उप तहसीलदार कम संयुक्त सब रजिस्ट्रार, डबवाली

सार्वजनिक सूचना

मैं नरेन्द्र भाटिया पुत्र अर्जुन दास निवासी 130/17, भाटिया नगर, टोहाना, जिला फतेहाबाद [illegible]

शपथकर्ता

नगर निगम रोहतक सार्वजनिक सूचना

[illegible]

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी नगर निगम रोहतक

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

– शपथकर्ता

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी नगर निगम, करनाल।

राहुल गांधी के मार्गदर्शन में हरियाणा कांग्रेस को मिलेगी नई मजबूती, प्रभारी संजय दत्त ने की मुलाकात

सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 14 जुलाई : हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य तथा संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने, कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद बनाए रखने तथा जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से जनता के बीच उठाने पर विशेष रूप से विचार-विमर्श हुआ। मुलाकात के बाद जानकारी देते हुए संजय दत्त ने बताया कि राहुल गांधी ने हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियों और संगठन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य मजबूत, सक्रिय और जनसरोकारों से जुड़ा संगठन तैयार करना है, जिसके लिए प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ निरंतर संवाद एवं संगठन विस्तार का अभियान जारी रहेगा।

संजय दत्त ने कहा कि हाल ही में उन्होंने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कई दिनों तक पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, विभिन्न प्रकोष्ठों एवं फ्रंटल संगठनों के प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की थी। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने, कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने तथा जनता के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से संघर्ष करने के लिए सभी को प्रेरित किया गया।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हरियाणा कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत, गतिशील एवं जनोन्मुखी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश के हर कार्यकर्ता को साथ लेकर संगठन विस्तार और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष को नई गति देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।

हाइड्रा की टक्कर से महिला की मौत, 3 वर्षीय बच्ची समेत दो घायल

सवेरा न्यूज, ओमपाहवा

यमुनानगर, 14 जुलाई : शादीपुर में सोमवार सुबह तेज रफ्तार हाइड्रा ने पैदल जा रही तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला और उसकी तीन वर्षीय बेटी घायल हो गईं। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से बिहार के कटिहार जिले के गांव दुर्गापुर निवासी रियाज ने पुलिस को बताया कि वह शादीपुर में किराये के मकान में रहकर प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता है। उसकी मासी हमीदा खातून भी परिवार सहित वहीं रहती थीं। सोमवार सुबह उसकी पत्नी अनीशा, मासी हमीदा खातून और तीन वर्षीय बेटी अनाया बाजार जा रही थीं। जब वे वैदिक साधन आश्रम के पास पहुंचे तो खजूरी रोड की ओर से लापरवाही से आ रही हाइड्रा ने तीनों को टक्कर मार दी। हादसे में हाइड्रा का पहिया अनीशा के पैर और हमीदा खातून के पेट के ऊपर से गुजर गया। चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने हमीदा खातून को मृत घोषित कर दिया। अनीशा और अनाया का उपचार जारी है। सदर यमुनानगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुभाष चन्द्र पुत्र स्व. श्री चमन लाल निवासी मकान नं. 3208, कच्चा बाजार, अम्बाला छावनी जिला अम्बाला, का निवासी हूं। मेरे मकान नं. 3208, कच्चा बाजार, अम्बाला छावनी जिला अम्बाला, की म्यूटेशन को नगर परिषद में दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया है इसमें किसी को भी कोई एतराज नहीं है यदि किसी को कोई ऐतराज है, तो वह 15 दिन के अंदर-अंदर मुझसे उक्त पते पर सम्पर्क करें।

बेदखली सूचना

मैं, सुखपाल सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह निवासी गांव औंधा तहसील कालांवाली जिला सिरसा बयान करता हूं कि मेरी पुत्री सोनी रानी मेरे कहने-सुनने से बाहर है और अपनी मनमर्जी करती है। इसलिए मैं अपनी पुत्री सोनी रानी को अपनी तमाम चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूं। भविष्य में वे किसी से किसी प्रकार का लेन-देन करेगी या कोई असामाजिक कार्य करेगी उसकी वह स्वयं जिम्मेवार होगी। मेरी व मेरे परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। शपथकर्ता

सार्वजनिक सूचना

[illegible] तहसीलदार, जगाधरी

सार्वजनिक सूचना

[illegible] तहसीलदार, जगाधरी

सार्वजनिक सूचना

[illegible] तहसीलदार, जगाधरी

सार्वजनिक सूचना

[illegible] तहसीलदार, जगाधरी

ग्राम पंचायत राक्सेड़ा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत राक्सेड़ा, ब्लॉक समालखा, पानीपत में निम्न विकास कार्य करवाए जाने हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है

1. हरिजन चौपाल का नवनिर्माण करवाया जाना है।
2. रामलीला ग्राउंड का गेट बनवाया जाना है।
3. सतपाल पुत्र राम सिंह के मकान से लेकर खेड़े वाले जोहड़ तक नाले का निर्माण करवाया जाना है।
4. गुलाब की दुकान से लेकर सूरत सिंह के मकान तक गली व नाली रिपेयर करवाई जानी है।
5. सुरेश शर्मा के घर से लेकर रामकरण प्रजापत के घर तक गली व नाली रिपेयर करवाई जानी है।

इच्छुक फर्म एंड सोसाइटी अपनी लेबर कोटेशन बंद लिफाफे में दिनांक 15.07.2026 से 20.07.2026 तक सरपंच ग्राम पंचायत राक्सेड़ा, के पास में जमा करवाएं।

सरपंच
ग्राम पंचायत राक्सेड़ा,
खंड समालखा, पानीपत

ग्राम पंचायत अहर, खण्ड इसराना, जिला पानीपत

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अहर, खण्ड इसराना, जिला पानीपत में निम्न कार्य करवाये जाने है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

1. नवीनीकरण और सफाई बिल्लीमार चौपाल पाना ठोला, 2. अंकुश पुत्र भीरा के घर से लेकर सत्यवान पुत्र पिल्ला के घर तक नाला निमार्ण, 3 अम्बेडकर भवन मे पेंट का कार्य, बिजली फिटिंग का कार्य, 4. स्टेडियम में पेंट व नवीनीकरण और सफाई का कार्य, 5.महेन्द्र पुत्र पेतराम के घर से कासन पुत्र मांगे राम के घर तकी IPB गली निर्मान , 6.अटावला रोड पर पंचायती भूमि में पानी के चब्बचे, कमरे की छत पक्की , कमरे का फर्श और पैर वाला रास्ता IPB, 7. बिल्लीमार चौपाल के पास निर्मान , 8.श्रीराम सेवा समीति कोमीनीटि हॉल नियर बस अड्डा का निर्माण , 9.सिम्मण पाना कुआं से लेकर रविदत पण्डित के घर तक गली की रिपेयर का कार्य, 10 जगदीश पुत्र लहरी के घर से सुरेन्द्र पुत्र रणधीर के प्लॉट तक गली निर्माण।

उक्त कार्य से संबंधित लेबर रेट कोटेशन दिनांक 15-07-2026 से 18-7-2026 तक बंद लिफाफे में ग्राम पंचायत के पास जमा करवाई जाए।

सरपंच ग्राम पंचायत अहर, खण्ड इसराना, जिला पानीपत।

फॉर्म नंबर 3
[रेगुलेशन-13 (1) (ए) देखें]

डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ (DRT-2)

पहली मंजिल, S.C.O. 33-34-35, सेक्टर 17-A, चंडीगढ़
(तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त जगह दी गई है)

केस नं. : ओए/70/2026

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पढ़े जाते अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत सम्मन।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ईएक्सएच नं. 30900

बनाम

मैसर्स भाग्य लक्ष्मी इंडस्ट्रीज एवं अन्य एन ए

को,

(1) मैसर्स भाग्य लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, एकल स्वामित्व फर्म, स्थित 14/2, शास्त्री नगर, हिसार रोड, रोहतक, हरियाणा – 124001, अपने एकल स्वामी सुश्री कुमारी खुशी, पुत्री श्री करण कुमार के माध्यम से।

(2) सुश्री कुमारी खुशी, पुत्री श्री करण कुमार, निवासी वार्ड संख्या 13, जुलाना, जींद, हरियाणा – 126101

सम्मन

चूंकि, OA/70/2026 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 13.05.2026 को सूचीबद्ध किया गया था।

चूंकि यह माननीय न्यायाधिकरण आपके विरुद्ध 44,88,816.03/- रुपये के ऋण की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 19(4) (OA) के तहत दायर उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने में संतुष्ट है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार, आप, प्रतिवादीगण को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

(i) सम्मनों की तामील के तीस दिनों के भीतर कारण बताओ कि क्यों नही मांगी गई राहत प्रदान की जानी चाहिए;

(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपतियों और परिसंपतियों के अलावा अन्य संपतियों या परिसंपतियों का विवरण प्रकट करना;

(iii) संपतियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान लंबित रहने तक आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत प्रकट की गई सुरक्षित संपतियों या ऐसी अन्य संपतियों और परिसंपतियों से निपटने या उनका निपटान करने से रोका जाता है;

(iv) आप ट्रिब्यूनल की पूर्व स्वीकृति के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर, किसी भी ऐसी संपति, जिस पर सुरक्षा हित सृजित है और/या मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत निर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य संपतियों और परिसंपतियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हस्तांतरित नही करेंगे;

(v) आप सुरक्षित परिसंपतियों या अन्य परिसंपतियों और संपतियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो सामान्य व्यवसाय के दौरान होती हैं और ऐसी बिक्री आय को बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास रखे गए खाते में जमा करना होगा, जो ऐसी परिसंपतियों पर सुरक्षा हित रखते हैं।

आपको लिखित बयान दाखिल करने और उसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराने तथा 15.07.2026 को प्रात: 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

यह मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मुहर के साथ इस दिनांक 15.07.2026 को दिया गया।

सम्मनों के निर्गमन के लिए अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय नगर पालिका सढ़ौरा

PWD विश्राम गृह के पीछे, सढौरा 133204 सम्पर्क नंबर: 01735-298650
वेबसाइट: https://ulbharyana.gov.in/Sadhaura/4297
ईमेल: secy-sadhaura@ulbharyana.gov.in

सार्वजनिक सूचना

नगरपालिका साढौरा की सीमा मे स्थित प्रोपर्टी धारकों को सूचित किया जाता है कि जो प्रोपर्टी धारक NDC Portal पर अपनी प्रोपर्टी/सम्पति डाटा की संतुष्टि करके स्व-प्रमाणित करेगा, हरियाणा सरकार/नगरपालिका साढौरा द्वारा उन सभी प्रोपर्टी धारकों को 31.08.2026 तक भरने पर वर्ष 2024-25 तक बकाया प्रोपर्टी टैक्स के ब्याज पर 75 प्रतिशत छूट का लाभ उन सम्पति मालिकों को प्रदान किया जाएगा जो सम्पत्ति कर के सभी बकाया का भुगतान करते है। प्रोपर्टी आईडीए स्व-प्रमाणित करने के लिए property ulbharyana.gov.in पर visit करें। इसके अतिरिक्त नगरपालिका साढौरा सीमा मे 3809 सम्पत्ति मालिक जिनके मोबाईल न० व नाम NDC Portal पर दर्ज नही है । वो भी अपने मोबाईल न० व नाम की दरूस्ती हेतु आपत्ति भी उक्त पोर्टल पर दर्ज करा सकते है या नगरपालिका साढौरा कार्यालय मे अपने दस्तावेज प्रस्तुत करके भी दरुस्ती करा सकते है।

6643/MCS सचिव
नगरपालिका सढ़ौरा।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पानीपत केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० नजदीक रेलवे ओवरब्रिज गोहाना रोड पानीपत, पर दिनांक 15.07.2026 को पुराना व अनउपयोगी सामान की "जहां है, जैसी स्थिति में है" (As Is Where Is Basis) खुली बोली होने जा रही है। एक बार के लिए होने जा रही है। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 15.07.2026 को दोपहर 12:00 बजे पानीपत केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० पानीपत मुख्यालय में पहुंचकर अपनी बोली दे सकते है। बोली से सम्बन्धित शर्ते निम्न प्रकार से हैं:-

1. इच्छुक बोलीदाता को उक्त बोली के लिए बतौर सिक्योरिटी राशि 50,000/- रूपये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करवानी होगी। जिस बोलीदाता के रेट स्वीकृत होंगे, उसको छोड़कर अन्य सभी बोलीदाता की सिक्योरिटी राशि तुरंत वापिस कर दी जाएगी।
2. उक्त पुराना व अनउपयोगी सामान जैसे पुराना जनरेटर सैटस, पुरानी लोहे की सेफ, अन्य अलमारियां पुराने कम्प्यूटर व प्रिन्टर व अन्य पुराना फर्नीचर बारे नीलामी के दौरान जिस बोलीदाता के रेट सबसे ज्यादा होंगे, उसके रेट को स्वीकृत की जाएगी। उक्त सामान का न्यूनतम रेट:-
Godrej Almirah(Heavy)- 30/- Kg. Generator 35 Kg. Fan-35/- Kg. Almirah(light weight)- 28/- Kg. Water Cooler-50/-Kg, AC(Window & Split)- 50/- Kg.Computer(waste)- 25/Kg, Laptop.CPU & Keyboard-25/-Kg
3. पुराना व अनुपयोगी सामान एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर उठाना होगा। अगर बोलीदाता एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर उक्त सामान नहीं उठाकर ले जाता है तो बोली रद्द कर दी जाएगी और उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. पुराना व अनुपयोगी सामान का वजन व गिनती करवाकर जो धनराशि देय बनती है, उसका भुगतान उसी समय अर्थात साथ के साथ करना होगा।
5. बोली को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार निम्नहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

तनवीर मोर(महाप्रबन्धक)
दी पानीपत केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० पानीपत
दूरभाष नं0-0180-2650138

DPR HRY 1184/11/123/2027/47021/C/608/6

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

SR NO	NAME OF DEPARTMENT	NAME OF WORK NOTICE TENDER	OPENING DATE CLOSING DATE	AMOUNT / EMD (APPROX.) IN RUPEES	WEBSITE OF THE DEPARTMENT	NODAL OFFICER/CONTACT DETAILS/EMAIL
1	KALPANA CHAWLA GOVT MEDICAL COLLEGE KARNAL	E-TENDER FOR COMPREHENSIVE MAINTENANCE CONTRACT (CMC) OF MEDICAL GAS PIPELINE SYSTEM (MGPS) AT KCGMC, KARNAL.	16.07.2026 03.08.2026	EMD 70000	https://etenders.hry.nic.in	8295340665 director.kcgmc-hry@gov.in
2	KALPANA CHAWLA GOVT MEDICAL COLLEGE KARNAL	E-TENDER FOR SUPPLY MEDICINE AND CONSUMABLE (DICLOFENAC GEL, TAB. ASCORBIC ACID, TAB. ATORVASTATIN, TAB. FOLIC ACID ETC.) AT KCGMC, KARNAL.	16.07.2026 23.07.2026	EMD 10000	https://etenders.hry.nic.in	9896154463 director.kcgmc-hry@gov.in
3	CIVIL HOSPITAL, PANCHKULA	OUTSOURCING OF LAUNDRY SERVICES	16.07.2026 29.07.2026	EMD 50000	https://etenders.hry.nic.in	0172-2562199 ghfpkl@gmail.com
4	CIVIL HOSPITAL, PANCHKULA	PURCHASE OF MEDICAL GASES (NITROUS OXIDE, CARBON DIOXIDE & MEDICAL OXYGEN GAS	16.07.2026 30.07.2026	EMD 50000	https://etenders.hry.nic.in	0172-2562199 ghfpkl@gmail.com
5	FOREST DEPARTMENT, SIRSA	NEW PLANTATION AND MAINTENANCE OF WORKS IN SIRSA, RANIA, DABWALI & KALANWALI RANGE UNDER STATE AND CAMPA SCHEME	14.07.2026 22.07.2026	1332.59 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9416067122 forest_srisa@yahoo.com

DPR (HRY) 11/2027/100/47173/I/608/6 FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT www.etenders.hry.nic.in

PUNJAB & SIND BANK

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING) क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकूला : एससीओ 76, प्रथम तल, सेक्टर-5, पंचकूला। ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपति/संपतियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

ईएमडी और दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की आखिरी तारीख और समय 29.07.2026 को/से पहले शाम 05:00 बजे तक

सुरक्षित संपति की ई-नीलामी सूचना 30.07.2026 को दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत बैंक को चार्ज की गई अचल संपत्तियों की बिक्री। जबकि, पंजाब एंड सिंध बैंक के ऑथराइज्ड ऑफिसर ने सेक्शन 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार, हर अकाउंट के सामने दी गई तारीखों को, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ, नीचे दिए गए लोन अकाउंट में निम्नलिखित प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया था, जिसमें उन्हें बैंक के बकाया और ब्याज की वसूली के लिए "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" के आधार पर, "जो भी हो" आधार पर बेचने का अधिकार था, जैसा कि नीचे बताया गया है और जबकि बकाया चुकाने में नाकाम रहने के कारण, नीचे हस्ताक्षर करने वाले, उक्त एक्ट के सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त प्रॉपर्टी की बिक्री से बैंक का बकाया वसूलने का प्रस्ताव रखते है। बिक्री नीचे हस्ताक्षर करने वाले द्वारा वेब पोर्टल वेबसाइट कि https://baanknet.com पर दिए गए ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी।

शाखा का नाम एवं उधारकर्ता/गारंटर का नाम	संपति का विवरण	मांग सूचना की तिथि एवं उसमें उल्लिखित बकाया राशि	ईएमडी / बोली वृद्धि राशि / आरक्षित मूल्य	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं संपर्क विवरण	संपति के चित्र हेतु क्यूआर कोड	स्थल/स्थान की जानकारी हेतु क्यूआर कोड	सेवा प्रदाता हेतु क्यूआर कोड
शाखा : न्यू मार्केट, जगाधरी उधारकर्ता : श्री प्रदीप कुमार (सह-उधारकर्ता :- श्रीमती रामपति सभी निवासी राजधानी कॉलोनी तेजली रोड जगाधरी, यमुनानगर	प्लॉट नंबर 137 और 138 पर रेजिडेंशियल हाउस का वह पूरा हिस्सा, जिसका ID नंबर 253C37U625 है, 200 Sq. Yards का है और जो खसरा नंबर 18//22/1 में आता है, जो मौजा कंसापुर में है, जिसका नाम सुंदर विहार कॉलोनी, यमुना नगर है, सेल डीड नंबर 899 तारीख 13.05.2009 के हिसाब से, इसकी सीमा इस तरह है: पूर्व : 36' गली 15' चौड़ी, पश्चिम : 36' दूसरे का घर, उत्तर : 50' प्लॉट नंबर 138 का बचा हुआ हिस्सा, दक्षिण : 50' प्लॉट नंबर 136 का बचा हुआ हिस्सा। (कब्जे की किस्म : फिजिकल)	डिमांड नोटिस 19.08.2021 31.07.2021 तक 9,08,407.88 रुपये प्लस 19.08.2021 से हुए ब्याज और आकस्मिक खर्च	रु. 13,09,000/- रु. 1,31,000/- रु. 13,500/-	श्री राजेश कुमार मोबाइल नंबर9418015199			

दूसरे नियम और शर्तें:- a) प्रॉपर्टी सभी मौजूदा और आगे के बोझ के साथ बेची जा रही है, चाहे वे बैंक को पता हों या नहीं। ऑथराइज्ड ऑफिसर/सिक्योर्ड क्रेडिटर किसी भी थर्ड पार्टी के क्लेम/राइट/ड्यू के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। खरीदार को अपनी संतुष्टि के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े सभी पहलुओं की पूरी जांच करनी चाहिए। बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले संबंधित अधिकारियों से किसी भी अन्य बकाया/लायबिलिटी/बकाया के बारे में भी अपनी संतुष्टि के लिए पता कर लें। खरीदार बाद में इस संबंध में ऑथराइज्ड ऑफिसर/सिक्योर्ड क्रेडिटर के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। b) अगर किसी भी रकम के भुगतान में कोई डिफॉल्ट होता है, या अगर खरीदार/बोली लगाने वाले की तरफ से बताई गई टाइम लिमिट के अंदर किसी वजह से सेल पूरी नहीं होती है, तो बैंक को तब तक खरीदार/बोली लगाने वाले के दिए गए सारे पैसे जब्त करने और अपनी मर्जी से सिक्योर्ड एसेट को फिर से बेचने का हक होगा। c) ऑक्शन/बोली सिर्फ "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग" के ज़रिए वेबसाइट https://baanknet.com पर होगी। बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे ई-ऑक्शन सेल की कार्रवाई में भाग लेने से पहले डिटेल में शर्तों के लिए वेबसाइट देख लें। d) प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन 22.07.2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक किया जा सकता है। e) प्रॉपर्टी रिजर्व प्राइस से ज्यादा कीमत पर बेची जाएगी और हिस्सा लेने वाले बिड लगाने वाले ऑक्शन प्रोसेस के दौरान अपने ऑफर को और बेहतर कर सकते हैं। f) आरक्षित मूल्य के 10% की ईएमडी राशि (मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड) के ई-वॉलेट में जमा की जानी है, (संपर्क नंबर 7046612345/6354910172/8291220220/9892219848/8160205051, ईमेल: support.BAANKNET@psballiance.com/support.ebkray@procure247.com) (BAANKNET.COM) पोर्टल पर सीधे या उसमें चालान बनाकर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करने के लिए उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में जमा करना है। i) ईएमडी राशि के भुगतान के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरण की एक प्रति 29.07.2026 को शाम 05.00 बजे तक, पंजाब एंड सिंध बैंक ii) पैन कार्ड, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी। हालांकि, सफल बोली लगाने वाले को बोली राशि के 25% की बाकी रकम का पेमेंट करते समय ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रूप में बैंक में दिखाने होंगे। iii) बोली लगाने वाले का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, पता, ईमेल आईडी। iv) EMD के ऑनलाइन रिफंड के लिए बोली लगाने वाले के अकाउंट की डिटेल्स। g) असफल बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई EMD उन्हें वापस कर दी जाएगी। EMD पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। h) नीलामी ऊपर बताए गए रिजर्व प्राइस पर शुरू होगी। बोली लगाने वाले अपनी पेशकश को ऊपर बताई गई रकम के मल्टीपल में बेहतर करेंगे। जो बोली लगाने वाला 'ऑनलाइन' नीलामी बंद होने पर सबसे ज्यादा बोली (रिजर्व प्राइस से ऊपर) लगाएगा, उसे सफल बोली लगाने वाला घोषित किया जाएगा। बिक्री सफल बोली लगाने वाले के पक्ष में कन्फर्म की जाएगी, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा कन्फर्म किए जाने के अधीन है। i) सफल बोली लगाने वाले को, सफल बोली लगाने वाले के तौर पर घोषित होने के अगले वर्किंग डे तक सेल प्राइस का 25% (पहले से पेमेंट की गई EMD मिलाकर) जमा करना होगा और बाकी रकम सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा सेल की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी। अगर सफल बोली लगाने वाला सेल प्राइस नहीं दे पाता है, तो उसका जमा किया गया पैसा बिना किसी नोटिस के ऑथराइज्ड ऑफिसर जब्त कर लेगा और प्रॉपर्टी को तुरंत फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा। j) Rs.50.00 लाख (Rs. पचास लाख) और उससे ज्यादा की सेल से होने वाली कमाई पर, सफल बोली लगाने वाले को सेल से होने वाली कमाई पर 1% की दर से TDS काटना होगा और TDS सर्टिफिकेट की ओरिजिनल रसीद बैंक में जमा करनी होगी। k) कन्वेयंस, स्टाम्प ड्यूटी/GST रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह के सभी चार्ज, जो भी लागू हों, सिर्फ सफल बोली लगाने वाले को ही देने होंगे। l) ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास बिना कोई कारण बताए ई-ऑक्शन के टर्म्स एंड कंडीशंस को टालने/कैंसल करने या बदलने का अधिकार है। डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए कृपया https://baanknet.com या https://www.punjabandsindbank.co.in देखें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) और 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिवसीय बिक्री नोटिस

इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के तहत उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं तथा गारंटर/ऋणकर्ताओं को उपर्युक्त तिथि को ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में एक नोटिस भी माना जा सकता है।

दिनांक : 14.07.2026 स्थान : पंचकूला प्राधिकृत अधिकारीपंजाब एंड सिंध बैंक